

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
संमस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश
(अप) 07/उरई को छोड़कर।

2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत,
शाहजहाँपुर, बदायूँ, मैनपुरी, एटा, कासगंज,
हाथरस, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, इटावा, बलिया,
देवरिया, सम्भल, अमरोहा, चन्दौसी, ललितपुर,
फतेहपुर, गाजीपुर, जौनपुर, गौण्डा, सुल्तानपुर,
बहराइच एवं मउनाथ भंजन विनियमित क्षेत्र,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2023

विषय :- भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों की जी०आई०एस० बेस्ड महायोजना-2031 (प्रारूप) के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके नियंत्रणाधीन विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों की जी०आई०एस० बेस्ड महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार किए जाने की प्रगति एवं कार्ययोजना की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के सभाकक्ष में दिनांक 21.09.2023 को अपराह्न 04:30 बजे से बैठक निर्धारित है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आहूत बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बैठक में लखनऊ से बाहर के अधिकारीगण द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया जा सकेगा, जिसके लिए आई०डी० एवं पासवर्ड यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

18.9.2023
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-

- (1) आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आहूत बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
- (4) निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आहूत बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।